न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व लोक अदालत शिविर) बिजौलियां केम्प
उमाजी का खेडा बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः—139 / 2007 दायर तारीख 27.07.2007

33 / 2016 04.10.2016

मु0 दाखीबाई पत्नि कंवरलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....वादीया

बनाम

1. नंदा पिता नारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी शंभूपुरा तहसील बिजौलियां
2. जीतमल पिता नारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी शंभूपुरा तहसील बिजौलियां
3. प्रकाश पिता नारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी शंभूपुरा तहसील बिजौलियां
4. लछीराम पिता खेमा जाति कराड उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी शंभूपुरा तहसील बिजौलियां
5. गोदा पिता छीतर जाति कराड उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी शंभूपुरा तहसील बिजौलियां
6. केला पिता भूरा जाति कराड उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी शंभूपुरा तहसील बिजौलियां
7. प्यारा पिता मोती जाति कराड उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी शंभूपुरा तहसील बिजौलियां
8. *भोजा पिता अमरा जाति गुर्जर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी शंभूपुरा तहसील* बिजौलियां

.....प्रतिवादीगण

श्री गिरधारी लाल आचार्य
अधि0वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट0

:—निर्णयः— दिनांक 18.05.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीया ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण उपखण्ड न्यायालय माण्डलगढ में प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय को मुन्तकिल होकर प्राप्त हुआ। वादी ने वादपत्र में अंकित किया कि वादीया की गैरखातेदारी में अीिलिखित कृषि भूमि मौजा शंभूपुरा प0ह0 उमाजी का खेडा तह0 बिजौलियां की शरहद में आराजी खसरा नं0 435 / 234 रकबा 2 बीघा अभिलिखित चली आ रही है। वादीया को करीब 15—16 वर्ष पूर्व उक्त भूमि का आवंटन किया गया था तथा वर्तमान समय से वादीया विधिक रुप से उक्त कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार कानूनन हो चुकी है। आवंटन समयाकाल से ही वादीया का वादग्रस्त कृषि भूमि पर जरिये काश्त कब्जा चला आ रहा है तथा वादीया एंव उसके परिवार जन ने वादग्रस्त कृषि भूमि में आर्थिक एंव शारिरीक मेहनत लगाकर उक्त भूमि को उन्नत एंव विकसीत किया तथा वादग्रसत कूलीया भूमि के चो तरफा पतथरों की कच्ची दिवार भूमि की सुरक्षा हेतु बनवाई गई। वादीया द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में वर्तमान समय

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर आये तथा आते ही वादीया को भूमि से बेदखल करने हेतु भूमि के चो तरफा बनी पत्थरो की कच्ची दिवार को ढसाना चालू कर दिया तथा वादीया की काश्त की गई फसल को नष्ट करने पर आमदा हुये। वादीया ने प्रतिवादीगण से आपती की तो प्रतिवादीगण ने वादीया को धमकी दी कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करेंगे तथा वादीया द्वारा भूमि पर काश्त की गई तिल्ली एंव मक्की की फसल को हांक कर नष्ट कर देंगे। ऐसी स्थित में वादीया के पास अपनी कब्जे एंव स्वामित्व की कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अतिरक्त अन्य कोई उपचार शेष नही रहा है। बिनाय दावा दिनांक 18.07.2007 से उत्पन्न होकर सतत् रुप से जारी है। वादीया ने अनुतोष चाही है कि प्रतिवादीगण को इस आश्य की सथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे कि मौजा शंभूपुरा प0ह0 उमाजी का खेडा तह0 बिजौलियां स्थित आ0नं0 435/234 रकबा 2 बीघा भूमि पर वादीया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे वादीया द्वारा भूमि की सुरक्षा हेतु लगाई गई पत्थरों की कच्ची दिवार को नष्ट प्रायः नही करे तथा वादीया को भूमि से जबरन बेदखल नही करे। अन्य अनुतोष उचित वादपत्र हो बहक वादीया विरुद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण की और से भी श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र मय जवाबदावा प्रस्तुत किया।

जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने अंकित किया कि वादीया मू0 दाखी को आ0नं0 435/234 रकबा 2 बीघा भूमि अवैध व गलत रुप से आवंटन की गई है वादी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। वादीया के आवंटन निरस्त किया जाने की कार्यवाही श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के यहा पर विचाराधीन है वादग्रस्त भूमि गांव के सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। उक्त भूमि गांव के समीप होकर गांव के मवेशीयों के चरने के काम में आ रही है। भूमि का उपयोग चारागाह के रुप में हो रहा है। भूमि की सुरक्षा हेतु कोई दिवार बनी हुई नही है। भूमि में तिल्ली व मक्की की फसल काश्त नही हो रही है। वादीया को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुये है। विवादग्रस्त भूमि आवंटन होने की तारीख से आज तक भूमि पडत पडी हुई है। वादग्रस्त भूमि काश्त किये जाने योग्य नही है। दिनांक 18.07.2007 को प्रतिवादीगण मौके पर नही गये वादीया ने सर्वथा मिथ्या मनगढंत तथ्यों का वर्णन किया है। मौजा शंभूपुरा में आ0नं0 435/234 रकबा 2 बीघा भूमि वादीया को अवैध आवंटन की गई। वादीया का वादपत्र विधि विरुद्व होने से निरस्त काबिल है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का हक हिस्सा कब्जा काश्त नही है। अतः वादपत्र वादीया खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता पूर्व में No Instruction कर उठे हैं

वादी ने दस्तावेज सूची मय दस्तावेज प्रतिलिपि जमाबंदी शंभूपुरा सम्वत् 2060 से 2063 व शपथ पत्र और प्रमाण पत्र पंचायत की प्रति प्रस्तुत की है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि ग्राम शंभूपुरा प0ह0 उमाजी का खेडा स्थित कृषि भूमि आ0नं0 435/234 रकबा 2 बीघा भूमि की खातेदारी होकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। ....वादीया
2. आया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का वर्षो पुराना कब्जा होने से वादीया स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। ....प्रतिवादीगण

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू I मू0 दाखी पत्नि कंवरलाल जाति गुर्जर निवासी भूति तहसील बिजौलियां के बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि विवादीत जमीन ग्राम शंभूपुरा में 2 बीघा है जो अभी मेरे नाम गैर खातेदारी से दर्ज है। यह जमीन 20–25 साल पहले मुझ प्रार्थीया को नसबंदी करवाई जिसकी एंवज में अलोट हुई थी। अभी जमीन पर मेरा ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। जमीन के चारो तरफ मेने पत्थरों की कोट लगा रखी है। प्रतिवादीगण मुझे मेरी जमीन पर काश्त नही करने देते है तथा मेरी कोट को भी नष्ट कर देते है। में प्रतिवादीगण के विरुद्व मेरी खातेदारी की जमीन की दखलन्दाजी नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहती हुॅ। विवादीत जमीन की नकल जमाबंदी मेने पेश की है जो प्रदर्श 1 है। जिरह में लिखवाया कि मैं विवादीत जमीन के नं0 नही जानती हुॅ। यह कहना गलत है कि विवादीत जमीन पर मवेशी चरते हों। यह कहना गलत है कि विवादीत जमीन गांव से लगती हुई है। यह सही है कि गांव वालो ने इस जमीन को खारिज कराने के लिये भीलवाडा दावा किया था। यह कहना गलत है कि भीलवाडा से मुझे आवंटित जमीन खारिज कर दी गई हो। यह कहना गलत है कि विवादीत जमीन मेरे खाते में नही है। जमीन मेर नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है। यह कहना गलत है कि विवादीत जमीन पर मेरा कब्जा नही है। मेरा इस जमीन पर 20–25 सालो से कब्जा चला आ रहा है। इस वर्ष मेने इस जमीन फसल काश्त की थी जो मवेशीयों ने नष्ट कर दी। मेरी आवंटन शुदा भूमि के आस पास कोई जमीन नही है।

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू II सुरेश कुमार पिता मोहनगिरी जाति गोस्वामी निवासी भूति तहसील बिजौलियां के बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि मै वादीया एंव वादग्रस्त जमीन को जानता हुॅ। जमीन ग्राम शंभूपुरा में 2 बीघा है। मैं शंभूपुरा ग्राम में रहता हुॅ इसलिये जमीन को जानता हुॅ मैं इस वादग्रस्त जमीन पर 20 साल से दाखी का कब्जा देखता आ रहा हुॅ। प्रतिवादीगण वादीया को आये दिन कब्जे काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है एंव पत्थर की कोट को भी नष्ट कर देते है। जिरह में लिखवाया कि वादीया हमारे गांव की है यह कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन पर गांव वालों के मवेशी चरते हो। वर्तमान में जमीन में सरसो की फसल वादीया ने काश्त की है। यह कहना गलत है कि वादीया 20 साल से काबिज है। गांव वालों ने अलोटमेंट खारिज करने का दावा किया हो तो मुझे पता नही है।

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू III रामचन्द्र पिता मोडा जाति सेन निवासी भूति तहसील बिजौलियां के बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि मैं वादीया दाखी एंव उसकी जमीन को जानता हुॅ। जमीन 2 बीघा मौजा शंभूपुरा में स्थित है। यह जमीन वादीया को अलोट हुई थी। मेने इस जमीन को सिजारे पर काश्त की थी इसलिये विवादीत जमीन को जानता हुॅ। वादीया ने इस जमीन को कोट लगा रखी है। वादीया इस जमीन पर 15 साल से काबिज हो काश्त करती चली आ रही है। जिरह में लिखवाया कि जमीन के खाता नं0 मुझे याद नही है इस जमीन को लेकर भीलवाडा कलक्टर महोदय, भीलवाडा के यहा आवंटन निरस्तीकरण की अपील चल रही है। यह सही है कि विवादीत जमीन पर अभी मवेशी नही चरते है। यह कहना गलत है कि विवादीत जमीन पर अभी वादीया का कब्जा नही हो। यह मुझे पता नही कि विवादीत जमीन वादी के खाते में दर्ज है या नही। यह कहना गलत है कि 20 वर्षो से जमीन पर प्रतिवादीगण का कबजा हो मैने पूर्व में 4–5 वर्ष तक सिजारे पर उक्त जमीन काश्त की विवादीत जमीन हमारे गांव से एक कोस की दुरी पर है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

प्रकरण में दिनांक 17-5-2018 को वादी की बहस सुनी जाकर प्रकरण को मेरिट पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय सिविर में किये जाने हेतु वादी ने सहमति

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये वादपत्र को डिक्री किये जाने की मांग की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

वादीया गैर खातेदार के रुप में दर्ज है। अभी तक खातेदारी क्यो नही मिली है। धारा 188 के अधीन वाद में वादी को यह दर्शित करना होगा कि वाद फाइल करने की तारीख को वाद भूमि पर उसका वास्तविक और भौतिक कब्जा (आधिपत्य) है। केवल इस वक्त की परिक्षा की जानी है कि वादी अभिधारी का कब्जा है और यदि उसके कब्जे को किसी व्यक्ति द्वारा धमकाया या आक्रमण किया जा रहा है तो ऐसे कब्जे का न्यायालय द्वारा संरक्षण किया जा सकता है। परन्तु कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नही दिया जा सकता है। इस प्रकरण में वादी ने वादपत्र में यह कथन किया है कि उसका प्रश्नगत भूमि पर कब्जा है तथा उसने उसमे तिल्ली व मक्की की काश्त कर रखी है परन्तु वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज अन्य कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया जिससे यह सिद्व हो सके कि प्रश्नगत भूमि पर वादीया का कब्जा हो और उसने उस पर काश्त कर रखी है। खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार की कोई काश्त नही की हुई है। राजस्व लोक अदालत शिविर के दौरान भी मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गई। उक्त जमीन पर वादीया का कोई कब्जा काश्त नही है कोई फसल काश्त नही की है। उक्त जमीन पर ग्रामवासीयान द्वारा पशु चराने के काम में ली जा रही है। अतः कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नही दिया जा सकता। अतः वादपत्र वादीया खारीज किये जाने योग्य है।

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट खारीज किया जाता है। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 18.05.2018 को मुकाम उमाजी का खेडा पर लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

18/05/18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
(केम्प उमाजी का खेडा)